पत्रांक 5332 /आयु0करउत्तरा0 /UDAAN-C/प0.–196/2013–14

कार्यालय आयुक्त कर, उत्तराखण्ड
**(आई0टी0–अनुभाग)**
देहरादून:: दिनांक:: ~~जनवरी~~, 2014 01/02/

## // परिपत्र //

(ऑनलाईन जनरेटेड फार्म–सी में संशोधन करने संबधी)

दिनांक 30.10.2013 से विभागीय वैबसाईट के माध्यम से ऑनलाईन फार्म–'सी' जारी करने सम्बन्धी मॉड्यूल "UDAAN-C" लागू किया गया है। विभिन्न व्यापारियों, अधिवक्ताओं द्वारा यह तथ्य संज्ञान में लाया गया है कि उनके द्वारा ऑनलाईन रूप से जनरेट किये गये द्वितीय त्रैमास से सम्बन्धित फार्म–सी के प्रिन्ट आउट में विक्रेता व्यापारी के टिन, नाम व पते, बिल संख्या, तिथि इत्यादि में कुछ त्रुटियां रह गयी हैं। यह त्रुटियां एनेक्सजर–17 सी में त्रुटिपूर्ण डाटा अंकित हो जाने के कारण हुई हैं। उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण कर निर्धारण अधिकारी के स्तर से किया जाना है जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् निर्धारित की गयी है:–

1. कर निर्धारण अधिकारी, **विक्रेता व्यापारी के टिन, बिल मूल्य अथवा फार्म–सी की धनराशि को छोड़कर** अन्य सभी प्रकार की त्रुटियों यथा विक्रेता व्यापारी के नाम पते, बिल संख्या व तिथि, परचेज आर्डर संख्या व तिथि आदि में परिवर्तन कर सकेंगे।

**2. विक्रेता व्यापारी के टिन तथा फार्म–सी की धनराशि में परिवर्तन करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में पृथक से परिपत्र जारी किया जायेगा।**

3. जिस व्यापारी को अपने त्रुटिपूर्ण फार्म–सी में संशोधन कराना है वह फार्म–सी की प्रति एवं फार्म में हुई त्रुटि व प्रस्तावित संशोधन के सम्बन्ध में साक्ष्यों सहित कर निर्धारण कार्यालय में आवेदन करेगा।

4. सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी को यदि मूल प्रपत्रों (बिल/परचेज आर्डर इत्यादि) के परीक्षणोंपरान्त यह समाधान हो जाये कि फार्म में संशोधन किया जाना उचित होगा तो अधिकारी द्वारा "CT Application" (SWAN) पर जाकर ऑफीसर अकाउण्ट में लॉग–इन किया जायेगा।

5. लॉग–इन के पश्चात् "statutory form issuance module" के विकल्प का चयन किया जायेगा।

6. तत्पश्चात् खुलने वाली विन्डो के टॉप मेन्यू में बने ऑप्शन "Form C" पर क्लिक करते हुए "Amend Form C" के विकल्प पर क्लिक किया जायेगा।

7. उक्त विकल्प पर क्लिक करते ही फार्म–सी का नम्बर अंकित करने हेतु स्क्रीन पर एक बाक्स खुलेगा। जिसमें संशोधित किये जाने वाले फार्म–सी का नम्बर अंकित करने के पश्चात "submit" के बटन पर क्लिक किया जायेगा।

क्रमशः–2–

5332
01/02/14



**8.** "Submit" के बटन पर क्लिक करते ही सम्बन्धित फार्म–सी का समस्त विवरण स्क्रीन पर उपलब्ध होगा।

**9.** उक्त विवरण में आवश्यकतानुसार संशोधन करने के पश्चात "update" एवं तत्पश्चात "Preview Form C" के बटन पर क्लिक किया जायेगा।

**10.** फार्म–सी के प्रिव्यू को भली–भांति जांचने के पश्चात् प्रिव्यू का ही प्रिन्ट आउट लिया जायेगा।

**11.** उक्त प्रिन्ट आउट पर व्यापारी अथवा उसके प्रतिनिधि से हस्तलिपि में इस आशय का प्रमाण पत्र अंकित कराने के पश्चात् कि– **"कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये फार्म–सी के प्रिव्यू को मैने अच्छी तरह जांच लिया है और मैं तद्नुसार अपने फार्म–सी को संशोधित कराने में अपनी सहमति प्रदान करता हूँ। मैं भविष्य में पुनः इस फार्म को संशोधित करने का अनुरोध नहीं करूंगा।"**– "Update Form C" के बटन पर क्लिक किया जायेगा तथा अपडेटेड फार्म–सी के प्रिन्ट आउट की एक प्रति व्यापारी को उपलब्ध करा दी जायेगी।

**12.** फार्म–सी की अपडेटेड प्रति में मात्र कार्यालय की गोल मोहर अंकित की जायेगी इसमें अधिकारी के हस्ताक्षर अंकित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

**13.** फार्म–सी में संशोधन के लिए व्यापारी द्वारा शुल्क देय नहीं होगा।

यह उल्लेखनीय है कि व्यापारी को किसी एक फार्म–सी में संशोधन करने का मात्र एक ही अवसर प्रदान किया जा रहा है अतः यह अपेक्षित है कि **मूल प्रपत्रों से भली–भांति जांच करने के उपरान्त ही फार्म–सी में आवश्यक संशोधन किये जाये।**

इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कृपया सम्बन्धित ई–चैम्पियन अथवा माड्यूल लीडर एवं एसोसियेट फार्म माड्यूल से सम्पर्क करें।

**(दिलीप जावलकर)**
आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

पृ0प0सं0 5332/01/02/14 /दिनॉक उक्त।

**प्रतिलिपिः— निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।**

01. सलाहकार कर, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
02. एडिशनल कमिश्नर,वाणिज्य कर,गढ़वाल जोन देहरादून/कुमायूॅ जोन,रूद्रपुर।
03. एडिशनल कमिश्नर (आडिट/प्रवर्तन) वाणिज्य कर,मुख्यालय देहरादून।
04. समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, देहरादून/हरिद्वार/काशीपुर/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त कार्यालय ज्ञाप की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसियेशन के पदाधिकारियों/व्यापारी संगठनो के अध्यक्ष/सचिव को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
05. ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर,देहरादून/हल्द्वानी।
06. ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्रवर्तन) वाणिज्य कर,हरिद्वार/रूद्रपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि वे उक्त अधिसूचना की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
07. श्री रोशन लाल, डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–3, वाणिज्य कर, देहरादून एवं Web-information officer को विभागीय website पर update करने हेतु।
08. डिप्टी कमिश्नर (उच्च न्यायालय कार्य) वाणिज्य कर, नैनीताल।
09. इन्स्टावैट ईन्फो प्रा0लि0 4, फेयरी मेनर द्वितीय फ्लोर 13,आर0सिधुआ मार्ग मुम्बई–400001।
10. नेशनल लॉ हाउस, बी–2 मॉडर्न प्लाजा बिल्डिंग, अम्बेडकर रोड,गाजियाबाद।
11. नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस–15/5 राजनगर गाजियाबाद।
12 स्वास्तिक पब्लिकेशन एसई–233,शास्त्री नगर,गाजियाबाद,–201002
13. लॉ बुक ट्रेडर्स 10 नगर निगम कम्पाउण्ड केसर गंज रोड,मेरठ ।
14. अध्यक्ष इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड, सत्या इण्डस्ट्रीज, मोहब्बेवाला औद्योगिक क्षेत्र देहरादून।
15. प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल कार्यालय, क्वालिटी हार्डवेयर, गॉधी रोड,देहरादून।
16. दून उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मण्डल, नागलिया आटोमो0 त्यागी, देहरादून।
17. प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल समिति, उत्तराखण्ड प्रदेश कार्यालय दीवान ट्रेडिंग कम्पनी, 81, मोती बाजार, देहरादून।
18. दी होलसेल डीलर्स एसो0, 14,आढ़त बाजार देहरादून।
19. प्रांतीय इण्डस्ट्रीज एसो0, 222/5 गॉधी ग्राम,देहरादून।
20. कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
21. मुख्यालय के समस्त अनुभाग।

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।